नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 70 /NCRES/20 Date : 30.03.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली, ग्वालियर का कार्य दिनांक 14.4.2020 तक बन्द किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि देश में फैले कोरोना वायरस के कारण भारत सरकार के आदेश पर ग्वालियर के कलेक्टर ने पूर्व में दिनांक 23.3.2020 के आदेश द्वारा दिनांक 31.3.2020 तक और बाद में 14.4.2020 तक लाक डाऊन का आदेश जारी किया है परन्तु मुख्य कारखाना प्रबंधक, सिथौली, ग्वालियर ने केवल 31.3.2020 तक कारखाने का कार्य बन्द करने का आदेश जारी किया है।

यह भी अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय के आदेश सं0 40-3/2020-DM-1(A), Dated 24.3.2020 के संदर्भ में Dy. CPO ने वैगन मरम्मत कारखाना, झांसी का कार्य 14.4.2020 तक बन्द करने का आदेश दिनांक 27.3.2020 (संलग्न) को जारी किया है।

दिनांक 27.3.2020 के बाद से NCRES के झांसी मण्डल के मण्डल अध्यक्ष CWM से बार–बार अनुरोध कर रहे है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण वैगन मरम्मत कारखाना, झांसी की तरह रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली, ग्वालियर का कार्य भी दिनांक 14.4.2020 तक बन्द किया जाय लेकिन CWM/Sitholi मण्डल अध्यक्ष के अनुरोध पर ध्यान नही दे रहे है जिसके कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष है।

NCRES का अनुरोध है कि आप कृपया हस्तक्षेपर करे ताकि CWM/Sitholi, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली का कार्य दिनांक 14.4.2020 तक बन्द करने का आदेश जारी करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

सूचना

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक,
वैगन मरम्मत कारखाना, झाँसी।

पत्र सं.–कारखाना/COVID-19/2020

दिनांक–27.03.2020

उप मु0 यां0 इंजी0–आर/एमएण्डपी/आई/उप मु0 वि0 इंजी0 कार0/उप मु0 इंजी0/उप मु.सामग्री प्रबंधक (एस.डी./जी.एस.डी.)/उप निदेशक–एस.टी.सी./उप वि0सला0एवं मु0ले0अधि0/कारखाना लेखाधिकारी/कार्य प्रबन्धक (आर)/पी.ई./ए.पी.ई./सहा0 कार्य प्रबन्धक (पी)/सहा.कार्य प्रबंधक (आर)/ए.ई.ई/कारखाना, झाँसी।
सीनियर सैक्शन इंजी–डब्ल्यूआर I/II/III/IV/V/VI/ट्रॉली/एअर ब्रेक लैब/वेल्डिंग/पेन्टिंग/लुहारखाता/मशीन/यंत्र सुधार/निरीक्षण/प्रगति कार्यालय/प्रगति फील्ड/दर निर्धा0 एवं नियो0/कम्प्यूटर/पी डी/मॉडे./प्रयोगशाला/एन.टी.एक्स.आर./रिट्रिपिंग/यार्ड/संरक्षा अधिकारी/वरि0अनु0–बी.टी.सी./कैन्टीन, कारखाना, झाँसी।
मुख्य कार्यालय अधीक्षक –कार्मिक/सामान्य/रोलिंग/स्टोर/प्रोत्साहन/वेतनपत्र/लीव/कोर्ट/राजभाषा अधीक्षक/ई.एस.–I/II/III/IV/भर्ती एवं अं.रे.स्था./पास/गोपनीय/पेसीट/अ.भुगतान/वृत्त/प्राप्ति एवं प्रेषण/अभिलेख/पी.एन.एम./अनुशासन/आर.टी.आई/मुख्य कर्म. एवं क. निरीक्षक कारखाना, झाँसी
सचिव– एनसीआरएमयू/एनसीआरईएस/एस.सी.–एस.टी. एशो./ओ.बी.सी. एशो., कारखाना झाँसी।

विषय– कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु वैगन मरम्मत कारखाना को दिनांक–14.04.2020 तक बन्द करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–1. इस कार्यालय के द्वारा जारी समसंख्यक सूचना दिनांक–23.03.2020
2. Ministry of Home Affairs का आदेश सं.– 40-3/2020-DM-I(A), Dated: 24.03.2020

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के सन्दर्भित सूचना (1) के द्वारा वैगन मरम्मत कारखाना को नोवेल कोरोना वायरस–COVID-19 के संक्रमण के प्रभाव एवं प्रसार की रोकथाम हेतु दिनांक–27.03.2020 तक (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) बन्द किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भ (2) के द्वारा जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) वैगन मरम्मत कारखाना आगे की अवधि दिनांक–28.03.2020 से 14.04.2020 तक बन्द रहेगा।

वैगन मरम्मत कारखाना के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान अपने घरों से बाहर नहीं निकलें तथा अपने परिवार के सदस्यों को भी घर से बाहर नहीं निकलने दें। कर्मचारियों से यह भी अनुरोध है कि वह मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे तथा मोबाईल एवं संचार के अन्य माध्यमों पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। प्रशासनिक आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को किसी भी समय कार्य पर बुलाया जा सकता है।

सम्बन्धित शाखा अधिकारियों से अनुरोध है कि कारखाने एवं कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से एवं आवश्यक सेवाओं के संचालन हेतु जरूरी स्टाफ का रोस्टर तैयार कर उन्हें कार्य पर बुलायें।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

27/3/2020
(पी. एस. बिष्ट)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी,
वैगन मरम्मत कारखाना, झाँसी।

प्रतिलिपि–

1. सचिव महाप्रबंधक, उ.म.रे. मुख्यालय प्रयागराज को महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उ.म.रे. मुख्यालय प्रयागराज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कारखाना इंजीनियर, उ.म.रे. मुख्यालय प्रयागराज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबंधक (कार्मिक), उ.म.रे. मुख्यालय प्रयागराज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी, झाँसी, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. निदेशक, कारखाना, उ0प्र0 सरकार, जी.टी. रोड, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
9. वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त, रेल सुरक्षा बल, उ.म.रेल झाँसी मण्डल, झाँसी।
10. निरीक्षक– रेल सुरक्षा बल, कारखाना, झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।